3.
4.

GA13
7/8/014

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No. .... of 2014

Brajendra Prasad Yadav ... Petitioner

Versus

The State of Bihar & Ors. ... Respondent

Sub : ....Others Matter....

INDEX

Sl.No.	**Particulars**	**Page Nos.**
1.	Synopsis of the Case	
2.	Writ petition with Affidavit	1 – 10
3.	**Annexure-1 & 1/1** Photocopies of memo. no. 1073 dated 27.09.2013 and Memo. of charges dated 27.09.13	11-12
4.	**Annexure-2** Photocopy of explanation submitted by the petitioner dated 12.11.2013	13-14
5.	**Annexure-3** Photocopy of enquiry report dated 25.11.13	15-18
6.	**Annexure-4** A photocopy of memo. no. 1465 dated 13.12.13	19
7.	**Annexure-5** A photocopy of memo. no. 1478 dated 16.12.13	20
8.	***VAKALATNAMA***	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)
C. W.J.C. No. .... of 2014

Brajendra Prasad Yadav ... Petitioner

Versus

The State of Bihar & Ors. ... Respondent

Synopsis of the Case

The petitioner prays for issuance of order/orders, direction/ directions in the nature of :

(i) A certiorari setting aside the order as contained in Memo. No. 1465 dated 13.12.2013 issued by the Civil Surgeon-cum-Chief Medical Officer, Madhepura, whereby and whereunder the petitioner has been punished in the department proceeding illegally.

(ii) A certiorari setting aside the order contained in Memo. No. 1478 dated 16.12.13 issued by the respondent Civil Surgeon-cum-Chief Medical Officer, whereby and whereunder the petitioner has been directed to make payment of Rs. 27,700/- (Rupees Twentyseven Thousand Seven Hundred) only to ``Kunal Booth".

Date of Events

26.09.13 The petitioner was posted as Storekeeper-cum- Headclerk in the office of the respondent Civil Surgeon-cum-Chief Medical Officer, Madhepura and he was suspended from his service and vide memo. no. 1073 dated 27.09.13, a departmental proceeding was initiated.

26.10.13 The enquiry conducting officer sought for explanation from the petitioner vide letter no. 731 dated 26.10.2013.

12.11.13	The petitioner submitted his explanation before the enquiry conducting officer on 12.11.2013, denying all the charges levelled against him.
25.11.13	The enquiry conducting officer conducted the enquiry and concluded the same on 25.11.2013 holding the petitioner guilty of the charges.
13.12.13	The petitioner was punished in the departmental proceeding by the respondent Civil Surgeon-cum-Chief Medical Officer, Madhepura. The petitioner has been punished by way of holding 2 increments in pay-scale with cumulative effect apart from censure.
16.12.13	The petitioner has been directed to make payment of Rs. 27,700/- to aforesaid ``Kunal Booth".

It is humbly submitted that to withhold increments with cumulative effect is a major punishment for which the principle of natural justice is to be followed by way of asking show-cause from the delinquent employee after service of enquiry report by way of second show-cause, which has not been followed in the instant case as serving enquiry report, no second show-cause was ever asked from the petitioner and the punishment of withholding increments with cumulative effect has been passed which is a major punishment and can not be afforded without giving opportunity of second show-cause after service of enquiry report and as such the impugned order dated 13.12.13 on this ground alone is fit to be set aside.

The consequential order by way of direction to make payment of Rs. 27,700/- to aforesaid ``Kunal Booth" can not also sustain in the eye of law

Hence, this writ petition.

Through:-
Pramod Mishra
Advocate for Petitioner
AOR - 05244

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. ____________ of 2014

In the matter of an application under Article 226 of the Constitution of India

And

In the matter of :

Brajendra Prasad Yadav, Son of Late Anirudh Prasad Yadav, Clerk, Primary Health Centre, Gwalpara, District - Madhepura

... Petitioner

Versus

1. The State of Bihar through the Principal Secretary, Department of Health, Govt. of Bihar, Patna
2. The Director in Chief, Health Services, Bihar, Patna
3. The Regional Deputy Director, Health Services, Bihar, Patna

4. The District Magistrate, Madhepura
5. The Civil Surgeon-cum-Chief Medical Officer, Madhepura
6. The Sub-Divisional Officer, Madhepura

... Respondents

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the Hon'ble High Court at Judicature at Patna and her companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble writ petition on behalf of the petitioner above-named :

Most Respectfully Sheweth :

1. That the petitioner prays for issuance of order/orders, direction/ directions in the nature of :

   (i) A certiorari setting aside the order as contained in Memo. No. 1465 dated 13.12.2013 issued by the Civil Surgeon-cum-Chief Medical Officer, Madhepura, whereby and whereunder the petitioner has been punished in the department proceeding illegally.

(ii) A certiorari setting aside the order contained in Memo. No. 1478 dated 16.12.13 issued by the respondent Civil Surgeon-cum-Chief Medical Officer, whereby and whereunder the petitioner has been directed to make payment of Rs. 27,700/- (Rupees Twentyseven Thousand Seven Hundred) only to ``Kunal Booth''.

2. That the present writ application is being filed on amongst the following grounds :

(i) For that the impugned orders are bad in law as also on facts ?

(ii) For that the impugned orders have been passed contrary to the materials available on record?

(iii) For that the impugned orders are in violation of principle of natural justice ?

(iv) For that the impugned orders are illegal, improper, unjust and against the well settled principle of law.

3. That the petitioner is a citizen of India and belongs to territorial jurisdiction of this Hon'ble Court.

4. That it is stated hereby that while the petitioner was posted as Storekeeper-cum- Headclerk in the office of the respondent Civil Surgeon-cum-Chief Medical Officer, Madhepura vide order containing in memo. no. 1064 dated 26.09.2013, he was suspended from his service and vide memo. no. 1073 dated 27.09.13, a departmental proceeding was initiated. One Sri Khurshid, D.P.R.O., Madhepura was appointed as an enquiry conducting officer, Memo. of charges dated 27.09.13 was also issued to the petitioner.

Photocopies of memo. no. 1073 dated 27.09.2013 and Memo. of charges dated 27.09.13 are annexed herewith and marked as Anenxure-1 & 1/1 respectively to this writ petition.

5. That according to memo. of charges, first charge against the petitioner is that recharge of Rs. 27,700/- was done on a mobile without proper verification, second charge is of negligence of duty and third charge is of impersonation.

6. That the enquiry conducting officer sought for exaplanation from the petitioner vide letter no. 731 dated 26.10.2013.

7. That the petitioner in response to aforesaid letter submitted his explanation before the enquiry conducting officer on 12.11.2013, denying all the charges levelled against him. In his explanation, he has categorically stated that on the order of the Civil Surgeon, recharge of Rs. 27,700/- was done by him from ``Kunal Booth" as it was said by the respondent Civil Surgeon that it is to be done as per instruction of the respondent S.D.O., Madhepura.

Photocopy of explanation submitted by the petitioner dated 12.11.2013 is annexed herewith and marked as Annexure-2 to this writ petition.

8. That the enquiry conducting officer conducted the enquiry and concluded the same on 25.11.2013 holding the petitioner guilty of the charges.

Photocopy of enquiry report dated 25.11.13 is annexed

herewith and marked as Annexure-3 to this writ petition.

9. That thereafter the petitioner was punished in the departmental proceeding vide order containing in memo. no. 1465 dated 13.12.13 by the respondent Civil Surgeon-cum-Chief Medical Officer, Madhepura . The petitioner has been punished by way of holding 2 increments in pay-scale with cumulative effect apart from censure.

A photocopy of memo. no. 1465 dated 13.12.13 is annexed herewith and marked as Annexure-4 to this writ petition.

10. That again vide memo. no. 1478 dated 16.12.13, the petitioner has been directed to make payment of Rs. 27,700/- to aforesaid ``Kunal Booth".

A photocopy of memo. no. 1478 dated 16.12.13 is annexed herewith and marked as Annexure-5 to this writ petition.

11. That it is humbly submitted that to withhold increments with cumulative effect is a major punishment for which the principle of natural justice is to be followed by way of asking show-cause from the delinquent employee after service of enquiry report by way of second show-cause, which has not been followed in the instant case as serving enquiry report, no second show-cause was ever asked from the petitioner and the punishment of withholding increments with cumulative effect has been passed which is a major punishment and can not be afforded without giving opportunity of second show-cause after service of enquiry report and as such the impugned order dated 13.12.13 on this ground alone is fit to be set aside. It is further stated that the consequential order by way of direction to make payment of Rs. 27,700/- to aforesaid ``Kunal Booth" can not also sustain in the eye of law in the facts and circumstances of this case.

12. That the petitioner against the impugned orders of punishment sent his memo. of appeal discussing all the relevant facts therein to the respondent Regional Deputy Director, Health Services, Kosi Division, Saharsa through

speed –post on 24.01.2014 but till date no any order has been passed.

13. That from the facts and circumstances, it is evident that the impugned orders are illegal, improper, unjust, arbitrary and contrary to the materials available on records as also against the principle of natural justice which can not sustain in the eye of law.

14. That the petitioner has got no equally efficacious remedy then to moved before this Hon'ble Court in its writ application.

15. That the petitioner has not moved before this Hon'ble Court in this matter and for the reliefs claimed hereunder on any earlier occasion.

It is, therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to admit this application, issue Rule Nisi calling upon the Opposite Parties as to why the prayer made in para. 1 of the writ petition not allowed and on returned of the rule your

Lordships may be pleased to make the rule absolute

And/or

Pass such other order or orders as your Lordships may deem fit and proper.

And for this, the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Brajendra Prasad Yadav, aged about 55 years, Clerk, Primary Health Centre, Gwalpara, District - Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows :

1. That I am petitioner in this case and as such I am well acquainted with the facts and circumstances of the case.

2. That the contents of the present writ application have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood the same.

3. That the statements made in paragraph nos..3 to 10, 12, 14 & 15 are true to my knowledge and the statements made in paragraph nos............... are true to my information derived from the records of the case and rest are by way of submissions.

4. That the Annexures are photo/typed copies of their respective originals.

(5)

कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा

आदेश

अधोहस्ताक्षरी को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री ब्रजेन्द्र प्रसाद यादव, भण्डारपाल सह प्रधान लिपिक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय, मधेपुरा अनुबंध में अर्न्तविष्ट आरोपो में वर्णित घोर लापरवाही और अवज्ञा के दोषी है। अतः अगर यह सिद्ध हो जाय तो उससे यह उपदर्शित होगा कि श्री यादव, भण्डारपाल सह प्रधान लिपिक के पदधारण करने योग्य नहीं है।

अत: यह निर्णय लिया गया है कि उक्त श्री यादव, भण्डारपाल सह प्रधान लिपिक के विरूद्ध अनुबंध मे वर्णित आरोपों के आधार पर विभागीय कार्यवाही चलाया जाय। श्री यादव को इस आदेश के प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर अपनी प्रतिरक्षा के संबंध में एक लिखित वक्तब्य डॉ0 जे0पी0 मंडल, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी मधेपुरा के समक्ष प्रस्तुत करना है। जो इस मामले के उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किये जाते है। एवं निदेशानुसार श्री खुर्शीद, डी0पी0आर0ओ0 समाहरणालय मधेपुरा संचालन पदाधिकारी होगें। श्री यादव को उपस्थापन पदाधिकारी से निवेदन करना होगा कि वे स्वंय सुनवाई के लिए इच्छुक हैं। और अपनी ओर से साक्ष्यों की परीक्षा कराने के इच्छुक हैं।

आदेश दिया जाता है कि अनुबंध की एक प्रति के साथ इस आरोप की एक प्रति श्री यादव एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

असैनिक शल्य चिकित्सक -सह-
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा

ज्ञापांक-1073 मधेपुरा, दिनांक-27.09.13

प्रतिलिपि : श्री ब्रजेन्द्र प्र0 यादव, भण्डारपाल सह प्रधान लिपिक, सिविल सर्जन कार्यालय मधेपुरा को साक्ष्य तालिका एवं अनुबंध के एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री खुर्शीद, डी0पी0आर0ओ0, समाहरणालय मधेपुरा सह संचालन पदाधिकारी को साक्ष्य तालिका एवं अनुबंध के एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : डॉ0 जे0पी0मंडल, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह उपस्थापन पदाधिकारी को अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि वे अविलंब इस मामले को अपने स्पष्ट मंतब्य के साथ संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

27/9/13

असैनिक शल्य चिकित्सक -सह-
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा

(5)

कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा

प्रपत्र 'क'

1. आरोपित कर्मचारी का नाम– श्री ब्रजेन्द्र प्रसाद यादव
2. पदनाम :– भण्डारपाल सह प्रधान लिपिक
3. वेतनमान :– 9300–34800
4. संवर्ग :– जिला संवर्ग

आरोप पत्र

श्री ब्रजेन्द्र प्रसाद यादव, भण्डारपाल सह प्रधान लिपिक, सिविल कार्यालय मधेपुरा के विरुद्ध निम्न आरोप है

1. दूरभाष सं0 9970777511 के द्वारा मो0 27700 (सत्ताईस हजार सात सौ) रुपये मात्र का रिचार्ज बिना किसी सत्यापन के कराना, लापरवाही का द्योतक है।
2. कर्त्तव्यहीनता का द्योतक है।
3. उच्चाधिकारी के साथ छद्म वेष (Impersonation)

14/9/13

असैनिक शल्य चिकित्सक –सह–
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा

A2

सेवा में,

संचालन पदाधिकारी सह
जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा।

विषय :– विभागीय कार्यवाही में उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करने के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय आदेश सं0 731/प0 दिनांक 26.10.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि मुझे असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी मधेपुरा द्वारा निलंबित करते हुए प्रपत्र 'क' गठित कर श्रीमान् को संचालन पदाधिकारी बनाया गया है। जिसकी सुनवाई की तिथि दिनांक 12.11.2013 के 11 बजे पुर्वाह्न में सदेह उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। आदेश के आलोक में सदेह उपस्थित होकर मैं अपना साक्ष्य कंडिका बार निम्न रूपेण प्रस्तुत कर रहा हूँ :–

कंडिका–01 आरोप :– दूरभाष सं0 9970777511 के द्वारा मो0 27700/– (सत्ताईस हजार सात सौ) रूपये मात्र का रिचार्ज बिना किसी सत्यापन के कराना, लापरवाही का द्योतक है?

साक्ष्य :– मैं असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय मधेपुरा में भंडारपाल सह प्रधान लिपिक के पद पर पदस्थापित था। दिनांक 24.09.13 को असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी मधेपुरा द्वारा मुझे बुलाकर कहा गया कि अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा द्वारा मोबाईल सं0 9970777511 से मेरे सरकारी मोबाईल सं0 9470003419 पर संवाद आया है कि बगल में अगर रिचार्ज सेन्टर हो तो किसी स्टाफ को रिचार्ज सेन्टर भेजे तथा मेरे द्वारा बताये गये मोबाईल सं0 पर रिचार्ज करायें। असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी मधेपुरा के द्वारा अपना सरकारी मोबाईल सं0 9470003419 देते हुए आदेश दिया गया कि मोबाईल लेते जाइये तथा रिचार्ज सेन्टर वाले को दे दें। मैं सरकारी मोबाईल लेकर रिचार्ज सेन्टर वाले कुणाल कुमार उर्फ पप्पु जो पानी टंकी चौक के पास सड़क से पूरब फोन बुथ की दुकान है, पर गया तथा मोबाईल देते हुए कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा से बात कर लें। बात करने के पश्चात् फोन बूथ वाले श्री कुणाल कुमार उर्फ पप्पु जी मोबाईल सं0 9970777511 पर बात करने के पश्चात् मोबाईल वापस करते हुए कहा कि दो बार में मो0 27700/– (सत्ताईस हजार सात सौ) रूपये मात्र का रिचार्ज किया गया है। इस बात की जानकारी मेरे द्वारा असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी मधेपुरा को देते हुए सरकारी मोबाईल उन्हें वापस कर दिया।

पुनः दिनांक 25.09.13 को मेरे मोबाईल सं0 9835878432 पर उसी नंबर से फोन आया। मेरे द्वारा कहा गया कि आप कौन बोल रहे हैं, उनके द्वारा बताया गया कि मैं अनुमंडल पदाधिकारी बोल रहा हूँ। मैने उनसे बातचीत के क्रम में कहा कि यह नंबर कहाँ से प्राप्त हुई है. उनके द्वारा कहा गया कि सिविल सर्जन साहब कार्य में व्यस्त होने के कारण आपका नंबर उनके द्वारा दिया गया है। आप बूथ वाले पास चले जाइए और रिचार्ज करवा दें। इसके बाद मेरे द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को कहा गया कि सिविल सर्जन साहब के द्वारा दिनांक 24.09.13 को कहा गया था कि रूपया अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा भेज दिया जायेगा। परन्तु बुथ वाले का पैसा अभी तक आपके द्वारा नहीं भेजा गया है। इसलिए वह आगे रिचार्ज करने को असमर्थ है। मैने बहाना बनाकर कहा कि जिला

पदाधिकारी महोदय के यहाँ दवा से संबंधित रिपोर्ट भेजना है, इसलिए मैं बूथ पर जाने में असमर्थ हूँ, इतना कहकर मैंने अपना फोन काट दिया। पुनः तुरंत फिर फोन आया और उनके द्वारा आक्रोश में कहा गया कि फोन क्यों काटते हैं जिला पदाधिकारी मेरे बहुत ही करीबी हैं, वे मुख्यालय में बैठें हैं मैं उनसे कह देता हूँ, आप रिचार्ज करवाने बूथ पर जायें और फोन चालू रखें। शंका होने पर मैंने असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी महोदय मधेपुरा को चेम्बर में जाकर कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से बात कर लिया जाय। असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी महोदय ने अपने स्तर से बातचीत किये। जिसके उपरांत उन्होंने अपने पत्रांक 1050 दिनांक 25.09.13 द्वारा पुलिस अधीक्षक मधेपुरा को विस्तृत रूप से अविलंब कानूनी कार्रवाई करने हेतु पत्र निर्गत किया गया। जिसकी प्रति जिला पदाधिकारी मधेपुरा को भी दी गयी। (पत्र सं0 1050 दिनांक 25.09.13 की छायाप्रति संलग्न)

कंडिका 2 आरोप :– कर्त्तब्यहीनता का द्योतक है।

साक्ष्य : इस संदर्भ में स्पष्ट करना है कि साधारण रूप से वरीय पदाधिकारी के लिखित अथवा मौखिक आदेश का पालन करना कनीय कर्मचारी का दायित्व हो जाता है। चूँकि असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी मधेपुरा वरीय पदाधिकारी हैं, इसलिए उनके द्वारा दिये गये मौखिक आदेश का पालन मेरे द्वारा किया गया। इसलिए कर्त्तब्यहीनता का प्रश्न ही नहीं उठता है।

कंडिका 3 आरोप :– उच्चाधिकारी के साथ छद्म वेश

साक्ष्य :– मेरे द्वारा अपनी सेवाकाल में किसी पदाधिकारी के साथ छद्म वेश नहीं किया हूँ और न अपनी सेवाकाल के अंतर्गत करने का प्रयास करूँगा। इसलिए यह आरोप भी बिल्कुल निराधार है।

अतः मेरे द्वारा दिया गया साक्ष्य का अवलोकन करते हुए भवदीय से सादर अनुरोध है कि विभागीय कार्रवाई समाप्त करते हुए आरोप मुक्त करने की कृपा की जाय। इसके लिए मैं श्रीमान् का सदैव आभारी बना रहूँगा।

विश्वासभाजन

(ब्रजेन्द्र प्र0 यादव)
निलंबित जिला भंडारपाल सह प्रधान सहायक
कार्या0 असैनिक शल्य चि0 सह मु0चि0पदा0 मधेपुरा
वर्त्तमान प्रा0स्वा0केन्द्र उदाकिशुनगंज

12.11.13

समाहरणालय मधेपुरा

(पंचायत शाखा)

आदेश फलक

नाम – श्री ब्रजेन्द्र प्रसाद यादव – पदनाम – भण्डार पाल सह प्रधान लिपिक

1. नाम:– श्री ब्रजेन्द्र प्रसाद यादव 2. पदनाम :– भण्डार पाल सह प्रधान लिपिक

3. पदस्थापन स्थान:– असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा

पदस्थापन स्थान – असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा

4. वेतनमान– 9300-34800 5. केस/शिकायत का प्रकार:– प्रपत्र 'क'

वेतनमान- 9300-34800 केस का प्रकार :- प्रपत्र 'क'

जाँच संचालन अभिलेख सं० – 01/2013

दिनांक	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र के क्रम में टिप्पणी
1	2	3
24/10/13	अभिलेख उपस्थापित ।असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ,मधेपुरा के ज्ञापांक 1073 दिनांक 27.09.13 द्वारा श्री ब्रजेन्द्र प्रसाद यादव भण्डार पाल सह प्रधान लिपिक, कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ,मधेपुरा के विरुद्ध प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ है ।श्री यादव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन कर सुनवाई करने का आदेश प्राप्त हुआ है । अतः सुनवाई हेतु उपस्थापन पदाधिकारी डॉ0 जे0 पी0 मंडल ,अपर मुख्य चिकित्सा पदा0 ,मधेपुरा तथा श्री ब्रजेन्द्र प्रसाद यादव , भण्डार पाल सह प्रधान लिपिक , कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ,मधेपुरा को नोटिश निर्गत करें । तामिला प्राप्त होने पर अभिलेख दिनांक 12/11/13 को उपस्थापित करें । लेखापित 24/X/13 जि0पं0रा0प0 मधेपुरा 24/X/13 जि0पं0रा0पदा0 मधेपुरा	
12.11.13	अभिलेख उपस्थापित । असैनिक शल्य चिकित्सक सह उपस्थापन पदाधिकारी एवं आरोपित उपस्थित। आरोपित श्री ब्रजेश प्रसाद यादव, भण्डर पाल साह प्रधान लिपिक, असैनिक शल्य चिकित्सा, मधेपुरा द्वारा उपस्थित होकर अपने पक्ष में लिखित साक्ष्य प्रस्तुत किया गया जो अवलोकनोपरान्त अभिलेख बद्ध है। दोनों पक्षों को धैर्य पूर्वक सुना गया।	

(2)

समाहरणालय मधेपुरा

(पंचायत शाखा)

आदेश फलक

1.नाम :- श्री ब्रजेन्द्र प्रसाद यादव 2.पदनाम : - भण्डार पाल सह प्रधान लिपिक

3.पदस्थापन स्थान :-असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ,मधेपुरा

4. वेतनमान :-9300-34800 5.. केश का प्रकार :-प्रपत्र 'क'

दिनांक	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र के कम में टिप्पणी
1	2	3
	असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा / जिला कार्यक्रम प्रबंधक जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा/ उमेश प्रसाद, आदेशपाल एवं कुणालय कुमार उर्फ पप्पु प्रो० टेलीफोन बुथ, मधेपुरा से लिखित बयान दिनांक-13.11.13 को प्राप्त करें। अभिलेख दिनांक-13.11.13 को रखें। लेखापित 12/11/13 जि०पं०रा०पदा० मधेपुरा 12/11/13 जि०पं०रा०पदा० मधेपुरा	
13.11.13	अभिलेख उपस्थापित। सभी गवाहों से लिखित बयान प्राप्त। अभिलेख दिनांक-19.11.13 को सुनवाई हेतु रखें। लेखापित 13/11/13 जि०पं०रा०पदा० मधेपुरा 13/11/13 जि०पं०रा०पदा० मधेपुरा	
19.11.13	अभिलेख उपस्थापित। आरोपित उपस्थित। असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम प्रबंधक/ श्री उमेश प्रसाद, आदेशपाल एवं श्री कुणाल कुमार उर्फ पप्पु प्रो० टेलीफोन बुथ द्वारा प्राप्त बयान श्री ब्रजेश प्रसाद यादव को हस्तगत करा दें। अभिलेख आदेशार्थ हेतु दिनांक-25.11.13 को रखें। लेखापित 19/11/13 जि०पं०रा०पदा० 19/11/13 जि०पं०रा०पदा०	

समाहरणालय मधेपुरा
(पंचायत शाखा)
आदेश फलक

1.नाम :- श्री ब्रजेन्द्र प्रसाद यादव 2.पदनाम : - भण्डार पाल सह प्रधान लिपिक

3.पदस्थापन स्थान :-असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ,मधेपुरा

4. वेतनमान :-9300-34800 5.. केश का प्रकार :-प्रपत्र 'क'

दिनांक	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर -(1)	आदेश पत्र के कम में टिप्पणी
1	2	3
25.11.13	प्रश्नगत मामले की गहन जाँच एवं सुनवाई बिन्दुवार की गई। 1. असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा से प्रपत्र "क" में प्राप्त आरोप पत्र में निम्नांकित आरोप श्री ब्रजेन्द्र प्रसाद यादव, भण्डार पाल सह प्रधान लिपिक, कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ,मधेपुरा के विरुद्ध लगाये गये है:- (क) दूरभाष सं0 9970777511 के द्वारा मो0 27700(सताईस हजार सात सौ) रूपये मात्र का रिचार्ज बिना किसी सत्यापन के कराना, लापरवाही का द्योतक है। (ख) कर्त्तव्यहीनता का द्योतक है। (ग) उच्चाधिकारी के साथ छद्म वेष(Impersonation) 2. उपरोक्त आरोपों की बिन्दुवार जाँच एवं सुनवाई की गई तथा उपलब्ध मौखिक एवं लिखित साक्ष्य की समीक्षा की गई। 3. सभी संबंधित पक्षों एवं व्यक्तियों से लिखित बयान प्राप्त, जिनका अवलोकन कर अभिलेख बद्ध किया गया। 4. निष्कर्ष -उपर्युक्त मामले में यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि श्री यादव ने अज्ञात मोबाईल नम्बरों से हुई बातचीत का कोई ब्यौरा असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा को बताये बगैर तथा उनसे पूर्व अनुमति बिना कुणाल बुक मालिक को विभिन्न नम्बरों पर रिचार्ज करने हेतु कहने के बाद दिनांक-24.09. 2013 को 27700.00(सताईस हजार सात सौ) रूपये का रिचार्ज कराया गया है, जिसका भुगतान एवं भरपाई के लिए श्री यादव, स्वयं उत्तरदायी हैं। इस प्रकार अपने नियंत्री पदाधिकारी को जानकारी दिए बिना उनके द्वारा किया गया कृत्य संदेहात्मक स्थिति को दर्शाता है। असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा से मात्र इतनी भूल हुई है कि उन्होंने अपनी व्यस्तता के कारण फोन पर बात करने का निदेश श्री ब्रजेश प्रसाद यादव को दिया। बात का ब्यौरा अप्राप्त रहने के कारण असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,मधेपुरा को समय पर वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं हो सकी। जबकि श्री यादव का कर्तव्य बनता था कि प्राप्त फोन कॉल का ब्यौरा असैनिक शल्य	

(5)

दिनांक	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र के ... में टिप्पणी
1	2	3
25.11.13	चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा को देते तथा तदनुसार अग्रतर कार्रवाई करते, जो श्री यादव के स्तर से नहीं किया गया। उपलब्ध कागजात, प्राप्त साक्ष्यों एवं लिखित ब्यान सहित परिस्थितिजन्य धोखाधड़ी की घटना के संबंध में स्थानीय थाना मधेपुरा में कांड संख्या-553/13, दिनांक-27.09.13 दर्ज है जिसके अनवेषण-उपरान्त न्यायालय के स्तर से विधि सम्मत कार्रवाई / निर्णय की प्रतिक्षा की जा सकती है। सम्प्रति यह मामला एक सरकारी सेवक की विश्सनीयता एवं कर्तव्य बोध पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। इस लिए सभी तथ्यों को देखते हुए श्री यादव के विरुद्ध असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा लगाये गए आरोप अधिकांशतः सत्य प्रमाणित होते हैं। अतः श्री ब्रजेन्द्र प्रसाद यादव, भण्डार पाल सह प्रधान लिपिक, कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग-V धारा-14 के नियम (v) पर लघु शास्तियों के आलोक में उन्हें संचायत्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धियाँ अवरुद्ध करने सहित "निन्दन की सजा" की अनुशंसा की जाती है, जिसकी प्रविष्टि श्री ब्रजेश प्रसाद यादव की सेवा पुस्त में की जाय। इसके आलावा श्री यादव को मधेपुरा मुख्यालय से अन्यत्र किसी अन्य अस्पताल में पदस्थापित किया जा सकता है। दुणाल दुध के बकाया पैसा का भुगतान श्री यादव स्वयं करेंगे। इसके लिए असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा के कार्यालय की जवाबदेही नही होगी। इस विभागीय संचालन कार्यवाही की प्रति जिला पदाधिकारी,मधेपुरा/ असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,मधेपुरा/ डा0 जे0पी0 मंडल; अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह उपस्थापन पदाधिकारी/ श्री ब्रजेन्द्र प्रसाद यादव, भण्डार पाल सह प्रधान लिपिक, कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,मधेपुरा को आवश्यक एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित करें। एतद द्वारा इस वाद के संचालन की कार्यवाही उक्त अनुशंसा सहित समाप्त की जाती है। मूल अभिलेख सुरक्षित रखें। लेखापित ह0/ 25/11/13 जि0पं0रा0पदा0 मधेपुरा ह0/ 25/11/13 जि0पं0रा0पदा0 मधेपुरा	

ज्ञापांक 845/जि0 मधेपुरा, दिनांक 29/11/13

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, मधेपुरा / असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा / डा0 जे0 पी0 मंडल, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह उपस्थापन पदाधिकारी, मधेपुरा / श्री ब्रजेन्द्र प्रसाद यादव, भण्डार पाल सह प्रधान लिपिक, कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा को आवश्यक एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/ 29/11/13
जिला पंचायत राज पदा0,
मधेपुरा
29/11/13

कार्यालयः– असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,मधेपुरा।

आदेश

श्री ब्रजेन्द्र प्र0 यादव, निलंबित भंडारपाल सह प्रधान लिपिक अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय जो इस कार्यालय के ज्ञापांक – 1061 दिनांक – 26.09.13 द्वारा निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई संचालित की गई संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम पर सम्यक विचारोपरांत उन्हें निम्नलिखित दण्ड के साथ पत्र निर्गत की तिथि से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

(1) सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के भाग V धारा 14 के नियम (V) पर लघु शक्तियों के आलोक में संचायत्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धियां अवरूध करने,

(2) निंदन की सजा

(ख) उपर्युक्त दण्ड इनके सेवा पुस्त में दर्ज कर दी जाय।

(ग) निलंबन अवधि में वेतनादि का भुगतान मधेपुरा थाना कांड सं0–. 553/13 दिनांक – 27.09.13 के अन्वेशन उपरान्त न्यायालय के स्तर से निर्णय के फलाफल पर किया जायेगा।

ह0/–

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा।

ज्ञापांक 1465 मधेपुरा, दिनांक 13.12.13

प्रतिलिपि :– श्री ब्रजेन्द्र प्र0 यादव, भंडारपाल सह प्रधान लिपिक अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय संप्रति मुख्यालय प्रा0 स्वा0 केन्द्र उदाकिशुनगंज को आदेश अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– लेखापाल, अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय को सूचनार्थ एवं आदेश अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला पंचायती राज पदाधिकारी–सह–संचालन पदाधिकारी, मधेपुरा एवं अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी–सह–उपस्थापन पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं प्रेषित।
प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय उपनिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं कोशी प्रमंडल सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

13/12/13

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा।

13/12/13

कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा

ज्ञापांक–1478 मधेपुरा, दिनांक–16-12-13

प्रेषित:– श्री ब्रजेन्द्र प्र0 यादव,
प्रधान सहायक,
सिविल सर्जन कार्यालय, मधेपुरा।

विषय :– कुणाल बुथ को भुगतान करने के संबंध मे।

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा कुणाल बूथ से विभिन्न नंबरों पर मो0 27700/– (सत्ताइस हजार सात सौ) रूपये मात्र का रिचार्ज कराया गया था। जिला पं0रा0पदा0 मधेपुरा सह संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 845 दिनांक 29.11.13 के निदेशानुसार आपको निदेश दिया जाता है कि मे0 कुणाल बुथ मधेपुरा को मो0 27700/– (सत्ताइस हजार सात सौ) रूपये मात्र भुगतान कर पावती रसीद कार्यालय को उपलब्ध करावें।

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा

Pankaj Kr Prakash, DA, RI Cell Madhepura
File- 2013-14/CS/CS-cum-CMO.off